आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......139....../18–19

राज्य बनाम यमहा रजिस्ट्रेशन नं0– NA (चेचिस नं0 MEIRG4517J0052368)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
06/6/19	अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में विशेष वाद (उत्पाद) संख्या–465/18 में दिनांक–07.09.18 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त यमहा रजिस्ट्रेशन नं0–NA (चेचिस नं0 MEIRG4517J0052368) को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विशेष वाद (उत्पाद) संख्या–465/18 में दिनांक–07.09.18 में गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद कर्मी प्रतिनियुक्त सैप बल व बिहार गृह रक्षा वाहिनी के साथ उपयुक्त अंकित स्थान व समयानुसार उपस्थित गवाहो के समक्ष अपनी व अपने टीम की सभी सदस्यों की जमा तलाशी उपरांत विधिवत छापेमारी की गई, छापेमारी क्रम में सुभाष कुमार यादव के कब्जे के गुमटी (लकरी) से 500 एम0एल0 के चौतीस (34) पाउच बरामद किया, शक के आधार पर वहां लगे यमहा गाड़ी की तलाशी ली तलाशी उपरांत गाड़ी के डिक्की में भी 500 एम0एल0 के 06 पाउच अवैध महुआ चुलाई शराब पाया गया। गाड़ी के मालिकाना हक के बारे मे पूछताछ किया तो सुभाष कुमार यादव ने स्वीकार किया कि ये मेरा गाड़ी है, यमहा का रजि0 नहीं लिखा था एवं चेचिस नं0 MEIRG4517J0052368 पाया गया। ततपश्चात् बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत अवैध उत्पाद वस्तु को जप्त किया। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिहरण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। **विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल।** कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि That aforesaid Motor Cycle	

Has seized by the Excise Police in special Excise Case No. 465/2018. That it has alleged by the Excise department that 06 Pouches of 500ml wine was recoverd from the dickey of the motor cycle of the petitioner. That petitioner as also arrested by the police. That petitioner has allowed bail by the Hon'ble High Court Patna vide Cr. Mise No. 65767/18 dated 06.11.18. That on the aforesaid order of Hon'ble High Court Petitoner has released from the Jail custody. That O.P. is the sole owner of the aforesaid motor cycle. That O.P. has all the papers of concerned Motor Cycle. That Some Unknown Persons has implicated the petitioner in this case.

That alleged wine has not recovered from the physical possession of O.P. rather some one has kept the wine in the dickey of motor cycle of O.P. That O.P. is ready to obey the any Condition of this court. That other grounds of grounds which will be placed at the time of final hearing. Under the above circumstances it is prayed that show cause filed by O.P. be kindly accepted and aforesaid motor cycle be kindly released in favour of O.P. and for this act of your honour kindness O.P.shall ever pray.

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिहरण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जब्त वाहन मोटर साईकिल यमहा रजिस्ट्रेशन नं0–NA (चेचिस नं0 ME1RG4517J0052368) को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहरण करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

26/6/18   26/6/18

समाहर्त्ता,   समाहर्त्ता,
सहरसा।   सहरसा।

सहरसा, दिनांक 29.6.19

ज्ञापांक 1014 / मद्य निषेध,

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

29/6/19

अधीक्षक मद्य निषेध,
सहरसा।